REGISTRATION NO. 1180215 (CLASS – I)
GSTIN No.-10AKGPB6017Q1ZC

PAN : AKGPB6017Q
MOB No.- 9430522506

KISHAN KUMAR BAJAJ

AT-CHURIPATTI BARA BAZAR, DIST-KATIHAR, PIN-854105, BIHAR.

Govt. Contractor & General Order Supplier.

Ref. No. 1......./ Date 2/3/21........./

सेवा में,

अभियंता प्रमुख

ग्रामीण कार्य विभाग

बिहार,पटना

विषय :- समय समय वृद्धि स्वीकृति के संबंध में ।

प्रसंग :- भवदीय का पत्रांक 1283 पटना/दिनांक 08.05.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निवेदन पूर्वक कहना है कि MMGSY योजना अंतर्गत रोड (Babla Rahika to MMGSY Road) में कार्य COVID-19 महामारी के कारण एवं वर्ष 2020 के आई अप्रत्याक्षित बाढ़ के कारण कार्य स-समय पूर्ण नहीं हो पाया विभाग द्वारा 45 दिनों का समय वृद्धि COVID-19 महामारी कारण देने की बात कही गई है (छायाप्रति संलग्न)।

अत: श्रीमान से निवेदन है कि मुझे 45 दिनों की समय वृद्धि दी जाय । ताकि मेरे द्वारा उक्त कार्य को जल्द पूर्ण किया जा सके । जिसके लिए में श्रीमान का सदा आभारी रहूंगा ।

विश्वासभाजन

किशन कुमार बजाज

(Kishan kumar Bajaj)

Contractor

Vill- Bara Bazar

Dist- Katihar

(State Bihar)

अभियंता प्रमुख का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक–मु0अ0–4 (मु0) विविध–23–39 / 2020 - 1283 (अ) पटना, दिनांक– 08/5/2020

प्रेषक,

प्रवीण कुमार ठाकुर
अभियंता प्रमुख

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता
सभी अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल
सभी नोडल पदाधिकारी
सभी कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल

विषयः भारत सरकार द्वारा आदेशित लॉक डाउन अवधि (COVID-19) में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार के अंतर्गत प्रगतिशील योजनाओं के कार्यावधि के विस्तार के संबंध में।

प्रसंगः दिनांक–06.05.2020 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक कार्यवाही (छायाप्रति संलग्न) विभाग के अंतर्गत प्रगतिशील योजनाओं के कार्यावधि के विस्तार से संबंधित है। कार्यवाही के आलोक में आवश्यक कार्रवाई किया जाय।

अनु0– यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह0/- 8/5/2020

(प्रवीण कुमार ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक– मु0अ0–4 (मु0) विविध–23–39 / 2020 / 1283 / पटना, दिनांक– 08/5/2020

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 8/5/2020
अभियंता प्रमुख

बिहार सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

दिनांक 06.05.2020 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

भारत सरकार द्वारा आदेशित लॉक डाउन अवधि (COVID-19) में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार के अंतर्गत प्रगतिशील योजनाओं के कार्यावधि के विस्तार के संबंध में विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

(i) श्री विनय कुमार, सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।
(ii) श्री प्रवीण कुमार ठाकुर, अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।
(iii) श्री संजय दूबे, अपर सचिव–सह–आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रा0का0वि0,पटना।
(iv) श्री अशोक कुमार मिश्रा, मुख्य अभियंता–1, ग्रा0का0वि0, पटना।
(v) श्री योगेश्वर पाण्डेय, मुख्य अभियंता–2, ग्रा0का0वि0, पटना।
(vi) श्री कमलेश चौधरी, मुख्य अभियंता–3, ग्रा0का0वि0, पटना।
(vii) श्री तनवीर आलम तारिक, मुख्य अभियंता–4 (मु0), ग्रा0का0वि0, पटना।

2. (i) उपरोक्त विषय के संबंध में भारत सरकार द्वारा आदेशित GOI, MHA का पत्रांक–40-3/2020-DM-I (A) दिनांक–24.03.2020 के द्वारा लॉकडाउन की अवधि (COVID-19) में दिनांक–25.03.2020 से दिनांक–19.04.2020 तक ग्रामीण कार्य विभाग की निर्माणाधीन एवं अनुरक्षण संबंधित सभी योजनाओं की प्रगति बंद हो गई। पुनः भारत सरकार के द्वारा निर्गत पत्रांक– MHA-40-3/2020-DM-I (A) दिनांक–15.04.2020 के द्वारा लॉकडाउन की अवधि को दिनांक–03.05.2020 तक विस्तारित करते हुए कतपिय शर्तो के साथ कंडिका 16 के अनुसार पथ का कार्य प्रारम्भ किये जाने की छूट दी गई। ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा दिनांक– 20.04.2020 से निर्माणाधनी/अनुरक्षण अंतर्गत सभी प्रकार की योजनाओं का कार्य वैश्विक महामारी (COVID-19) में कतिपय शर्तो के साथ प्रारम्भ करने का निदेश विभागीय पत्रांक संख्या–107/स0 दिनांक–15.04.2020 द्वारा निर्गत किया गया।

2. (ii) उपर्युक्त से परिलक्षित है कि 25 मार्च 2020 के बाद सभी एकरारित योजनाओं का कार्य पूर्णतया बन्द रहा एवं तदोपरांत 20 अप्रैल 2020 से आवश्यक तैयारियों के साथ योजनाओं का कार्य प्रारम्भ किया गया, परन्तु व्यवहारिक रूप में मानवबल एवं सामानों की आपूर्ति सूचारू होने में कठिनाई के मद्देनजर यह महसूस किया जा रहा है कि निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य निर्बाध रूप से 3 मई 2020 तक संचालित होने में कई कठिनाईयॉ हो रही है।

2. (iii) उक्त के क्रम में **Force Majeure** के रूप में विभाग द्वारा कार्य की सतत् प्रगति के उद्देश्य से यह निर्णय लिया जा सकता है कि जिन योजनाओं का कार्य समाप्ति तिथि 25 मार्च 2020 या उसके बाद निर्धारित है वैसी सभी योजनाओं का कार्य समाप्ति 45 दिनों के लिए बढ़ाई जा सकती है, जिसके लिए भविष्य में समय वृद्धि के लिए कोई अन्य आदेश की आवश्यकता नहीं होगी।

2. (iv) विस्तारित अवधि में संवेदक को **Price Escalation** का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा परन्तु यदि विस्तारित अवधि का **Price Index/Rate** एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो **Price Neutralization** हेतु विस्तारित अवधि का **Price Index/Rate** लागू होगा।

2. (v) उक्त के आलोक में संबंधित कार्यपालक अभियंता अपने स्तर से कार्य अवधि की संशोधित तिथि को निर्धारित कर संवेदक को सूचित करेंगे।

(अशोक कुमार मिश्रा)
मुख्य अभियंता--1
ग्रामीण कार्य विभाग,
पटना।

(योगेश्वर पाण्डेय)
मुख्य अभियंता--2
ग्रामीण कार्य विभाग,
पटना।

(कमलेश चौधरी)
मुख्य अभियंता--3
ग्रामीण कार्य विभाग,
पटना।

(मो0 तनवीर आलम तारिक)
मुख्य अभियंता--4 (मु0)
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

(संजय दूबे)
अपर सचिव सह आंतरिक
वित्तीय सलाहकार,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार,
पटना।

(प्रवीण कुमार ठाकुर)
अभियंता प्रमुख
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

(विनय कुमार)
सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।